"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 117] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 मई 2002—वैशाख 20, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 मई 2002

क्रमांक 3406/21-अ/प्रारूपण/01.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 3-5-2002 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 24 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2002

छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) को संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के 53वें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मंडल द्वारा निम्न रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का नाम छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्र. 24 सन् 2002) है.

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 5 (1) में अन्तः स्थापन.

2. छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1972 (क्रमांक 25 सन् 1972) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 5 की उपधारा (1) में स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात्—

"परन्तु प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री तथा संसदीय सचिव के शासकीय निवास के कुछ भाग को, जो उनके तथा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा निवास के रूप में उपयोग में नहीं लाया जा रहा हो, उनके आवासीय कार्यालय के रूप में घोषित किया जा सकेगा."

धारा 5 की उपधारा 4 का लोप.

3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 4 का लोप किया जाए.

धारा 5 (1), 5 (3) एवं 9 (1) (क) व (दो) में स्थापन.

4. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) तथा (3) और धारा 9 (1) (क) व (दो) में शब्द "भोपाल" जहां कहीं भी आया हो शब्द "रायपुर" स्थापित किया जाए.

"यह विधेयक छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा मंगलवार, दिनांक 26 मार्च, 2002 को पारित किया गया."

रायपुर, दिनांक 10 मई 2002

क्रमांक 3406/21-अ/प्रारूपण/01.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम, 2002 (क्रमांक 24 सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रभात शास्त्री, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ADHINIYAM
(No. 24 of 2002)

THE CHHATTISGARH MANTRI (VETAN TATHA BHATTA) (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2002 (No. 24 of 2002)

An Act to amend the Chhattisgarh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam 1972 (No. 25 of 1972).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows :—

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Sanshodhan Adhiniyam, 2002 (No. 24 of 2002).

(2) It shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

Insertion of Section 5 (1).

2. After Section (1) of Section 5 of the Chhattisgarh Mantri (Vetan Tatha Bhatta) Adhiniyam, 1972 (No. 25 of 1972) (Which is hereinafter referred to as the Principal Act) before the proviso of above Section the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided that some portion of the Official residence of every Minister, Minister of State, Deputy Minister and Parliamentary Secretary not being used as a residence on them and their family members may be declared as the residential office."

Omission of sub-section 4 of section 5.

3. Sub-section (4) of Section 5 of the Principal Act shall be omitted.

Substitution in Section 5 (1), 5 (3), 9 (1) and (a) (ii).

4. In sub-section (1) and (3) of Section 5 and sub-section 9 (1) (a) and (ii) of the Principal Act the word "Bhopal" wherever it occurs the word "Raipur" shall be substituted.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.